कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक– UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters-II/ 1615 दिनांकः 13/09/2019

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– "तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देशिका" का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–608 / XXVIII–4–2019–19 / 2017, दिनांक 13.08.2019 के साथ संलग्न सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–P.16012/16/2017-TC, दिनांक 11.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें **(छायाप्रति संलग्न)**। जिसके द्वारा सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा–6 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित् किये जाने और कमजोर आबादी, विशेष रूप से छोटे बच्चों को तम्बाकू सेवन के जोखिम से बचाने के लिए "तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों" के लिए पुनरीक्षित दिशा–निर्देशिका निर्गत की गयी है **(छायाप्रति संलग्न)**।

अवगत कराना है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की RoP के FMR Code-11.21.1 (IEC/SBCC for NTCP) मद में समस्त जनपदों हेतु धनराशि रू0 1.00 लाख अनुमोदित है तथा जनपद देहरादून हेतु धनराशि रू0 2.00 लाख अनुमोदित है। जिससे जनपद स्तर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 गतिविधियाँ आयोजित की जानी हैं। भारत सरकार से प्राप्त पुनरीक्षित दिशा–निर्देशिका के ANNEXURE-II तथा ANNEXURE-III की आई0ई0सी0 गतिविधि को NTCP कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के Targets में सम्मिलित कर पूर्ण किया जाना है। साथ ही पुनरीक्षित दिशा–निर्देशिका के पृष्ठ संख्या–10 व 11 पर धारा–4 व 6(a&b) तथा ANNEXURE-IV पर कार्यवाही जनपद स्तर पर की जानी है। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा उक्तानुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाना है।

अतः "तम्बाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों" के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत पुनरीक्षित दिशा–निर्देशिका में उल्लिखित प्राविधानों / दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अंजली नौटियाल)
निदेशक (एन0एच0एम0)

पत्रांक– UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters-II/ 1616 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(अंजली नौटियाल)
निदेशक (एन0एच0एम0)

Scanned by CamScanner